त्रैमासिक

बिहार सरकार

अगस्त-अक्टूबर 2018
अंक : 01 वर्ष : 01

# परिवर्तन

प्रवेशांक

## कारा सुधारात्मक पहल की साक्षी

- मानवाधिकार के संरक्षण में कारा चिकित्सकों की अहम भूमिका : न्यायमूर्त्ति मन्धाता सिंह
- अभियोजन पदाधिकारियों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है – न्यायमूर्त्ति अहसानुद्दीन् अमानुल्लाह
- सतर्क रहने की आवश्यकता है – अशोक कुमार चौधरी
- कारा में सुधारात्मक सेवाओं का प्रतिनिधि है प्रोबेशन सेवा – महानिरीक्षक
- आवश्यकता है आत्मसात करने की – मिथिलेश मिश्र
- कारा प्रोग्रामर का राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित
- बुलिया की दंश – बी.सी.पी. सिंह

गृह विभाग (कारा), बिहार अंतर्गत कारा एवं सुधार सेवाएँ नियंत्रणाधीन बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर (वैशाली) द्वारा प्रकाशित।

# बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर वैशाली
## "वर्ष 2018 का प्रशिक्षण कैलेंडर"

| माह | प्रशिक्षण कोर्स | प्रशिक्षण अवधि | प्रारम्भ की तिथि | समांवित समापन तिथि | संवर्ग |
|---|---|---|---|---|---|
| अप्रैल | सहायक अधीक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण | 4 माह | 07.04.2018 | 15.08.2018 | सहायक अधीक्षक |
| मई | – | – | – | – | – |
| जून | (i) कारा चिकित्सकों की राज्यस्तरीय कार्यशाला<br>(ii) सहायक अभियोजन पदाधिकारी | 02 दिन<br>03 माह | 06.06.2018<br>23.06.2018 | 07.06.218<br>23.09.2018 | कारा चिकित्सक<br>सहायक अभियोजन सेवा |
| जुलाई | (i) प्रोबेशन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यशाला | 01 दिन | 04.07.2018 | | प्रोबेशन पदाधिकारी |
| अगस्त | (i) प्रोबेशन पदाधिकारियों का बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम | 06 माह | 17.08.2018 | 15.02.2019 | प्रोबेशन पदाधिकारी |
| सितम्बर | (i) Seminar on Stress Managment<br>(ii) Seminar on Criminal Justice System | 01 दिन<br>01 दिन | मुख्य अतिथि के उपलब्धता के सुविधानुसार | | अधीक्षक<br>अधीक्षक कारा चिकित्सक |
| अक्टूबर | Seminar on Human Right | 02 दिन | मुख्य अतिथि के उपलब्धता के सुविधानुसार | | अधीक्षक / उपाधीक्षक सहायक अभियोजन पदाधिकारी / चिकित्सक पदाधिकारी |
| नवम्बर<br>दिसम्बर | Seminar on Right to Information | 02 दिन | मुख्य अतिथि के उपलब्धता के सुविधानुसार | | **बिहार के सभी काराओं के लोक सूचना पदाधिकारियों एवं अधीक्षकों (अलग– अलग दिनों में)** |

❖ पाठ्यक्रम के पुर्णता के अनुसार प्रशिक्षण अवधि घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

**निदेशानुसार**

संरक्षक :
श्री आमिर सुबहानी ( भा.प्र.से. )
प्रधान सचिव
गृह विभाग, बिहार

प्रधान सम्पादक :
श्री मिथिलेश मिश्र ( भा.प्र.से. )
महानिरीक्षक
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार

सम्पादक :
श्री वीरचन्द्र प्रसाद सिंह
( बी. सी. पी सिंह )
निदेशक
बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान
हाजीपुर

डिजाईन एवं तस्वीरें :
रविराज पटेल

संपादकीय कार्यालय
बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान
दिग्घी कला, समीप मंडल कारा,
हाजीपुर, वैशाली 844101 (बिहार)
दूरभाष : 0622-4272117
ई-मेल - hajipurbica@gmail.com

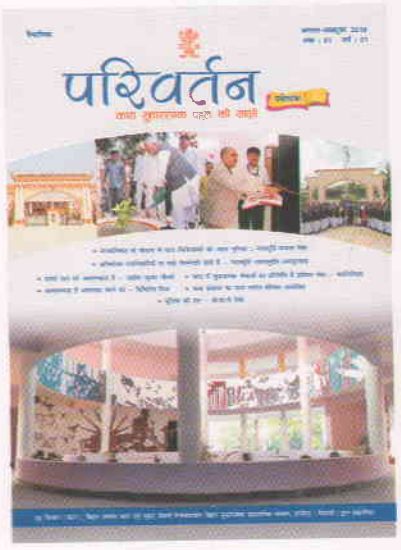


त्रैमासिक अंक : 01 वर्ष : 01 अगस्त-अक्टूबर 2018

बिहार सरकार

# परिवर्तन

प्रवेशांक

कारा सुधारात्मक पहल की साक्षी

गृह विभाग ( कारा ), बिहार अंतर्गत कारा एवं सुधार सेवाएँ नियंत्रणाधीन
बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर ( वैशाली ) द्वारा प्रकाशित।

नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री
बिहार

आवास : 1, अणे मार्ग
पटना–800001

बिहार सरकार

# शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर बेहद प्रसन्नता हो रही है कि गृह विभाग (कारा) बिहार के अंतर्गत कारा एवं सुधार सेवाएँ द्वारा संचालित बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर (वैशाली) के तत्वावधान में त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका "परिवर्तन" का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है, इस प्रयास का स्वागत करता हूँ।

साथ ही यह भी आशा करता हूँ कि बढ़ते और बदलते बिहार की कड़ी में "परिवर्तन" का योगदान बहुमूल्य होगा।

इसकी सफल प्रकाशन पर बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान और पत्रिका से जुड़े सभी पदाधिकारियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

(नीतीश कुमार)

दीपक कुमार, भा.प्र.से.
मुख्य सचिव

**Deepak Kumar,** I.A.S
Chief Secretary

बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय, पटना – 800 015

**GOVERNMENT OF BIHAR**
Main Secretariat, Patna - 800 015
Tel. : 0612-2215804, Fax : 0612-2217085
E-mail : cs-bihar@nic.in

# शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि गृह (कारा) विभाग के अंतर्गत बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर (वैशाली) द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया है। मैं **'परिवर्तन'** त्रैमासिक पत्रिका का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि अपने नाम की सार्थकता के साथ **'परिवर्तन'** का प्रकाशन नियमित रूप से होगा, जो कारा एवं सुधार सेवाएँ द्वारा संचालित गतिविधियों को रेखांकित करेगी। इससे कैदियों में भी सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिल सकता है।

इसके प्रकाशन के लिए बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर (वैशाली) को मेरी शुभकामनाएँ।

14/5

(दीपक कुमार)

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव
गृह विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार

पुराना सचिवालय
पटना–800 015
दूरभाष : (0612) 2217955
(0612) 2234518
फैक्स : (0612) 2217983

# शुभकामना संदेश

मुझे खुशी है कि बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर (वैशाली) द्वारा **'परिवर्तन'** त्रैमासिक पत्रिका की शुरुआत की जा रही है।

मुझे यकीन है कि **'परिवर्तन'** एक बहुत अच्छी पत्रिका होगी।

शुभकामनाएँ।

19.9.2018

(आमिर सुबहानी)

# प्रधान सम्पादक की कलम से.....

मिथिलेश मिश्र, भा.प्र.से.

"पाप से घृणा करो, पापी से नहीं" महात्मा गांधी के इस कथन में इतना हौसला तो है कि कोई अपराध के चरम पर भी हो तो वह व्यक्ति भी सज्जन के श्रेणी में वापसी कर सकता है। शर्त है कि गांधी जी के इस संदेश का अनुपालन हृदय से करना होगा– गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अहिंसा और विनम्रता से बड़ी कोई वीरता नहीं है। लिहाजा, अपराध तो वीरता के घोर विपरीत और निंदनीय है। भले ही वह अपराध का कोई भी प्रकार हो।

मेरा विश्वास है कि महात्मा गांधी ने यह संदेश जनमानस को तब दिया होगा, जब उन्होंने अपने जीवन मूल्य से उस अनुभव का साक्षात्कार किया होगा। अपने अनुभव के कसौटियों पर कई बार परखा होगा। दूसरे अर्थों में कहें तो वह क्रम निश्चित रूप से मोहन से महात्मा बनने के मध्य रही होगी। जिसका अनुमान उस समय शायद उन्हें भी न रहा होगा। वैसे हमलोग स्वयं को भाग्यशाली मान सकते हैं कि गाँधी जी के महात्मा सृजन की प्रक्रिया में बिहार की अग्रणी भूमिका रही है। चंपारण सत्याग्रह इसका सबसे बड़ा और गौरवशाली उदाहरण है। हाल ही में हमलोगों ने उस सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष (1917–2017) का उल्लास मनाते हुए गर्व की अनुभूति किया है। मोहन से महात्मा होने के बीच गांधी जी को कई संकल्पों और संघर्षों से गुजरना पड़ा है, ये हम सभी अपने अपने श्रोत से अच्छी तरह से जानते हैं।

> गांधी जी ने यह वाक्य 'पाप से घृणा करो, पापी से नहीं' केवल दीवारों पर उनके नाम से लिख या पढ़ कर खुश होने के लिए नहीं कहा होगा बल्कि वे ये कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ प्रेम से पेश आना चाहते हैं लेकिन आप पाप करना तो छोड़ो।

बावजूद उसके मैं इस भूमिका के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि समाज में एक बेहतर इंसान के रूप लगातार बने रहने के लिए हमें रोज नए संघर्षों और सपनों के साथ सहजता, शांति और भाईचारे कायम रखने होंगे। गांधी जी ने यह वाक्य 'पाप से घृणा करो, पापी से नहीं' केवल दीवारों पर उनके नाम से लिख या पढ़ कर खुश होने के लिए नहीं कहा होगा। बल्कि वे ये कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ प्रेम से पेश आना चाहते हैं लेकिन आप पाप करना तो छोड़ो। उन्होंने अपने देश के नागिरकों के लिए एक सकारात्मक सपना देखा था। सवाल यह उठता है कि क्या हम उस सपने को साकार करने की दिशा में चल रहे हैं ? अगर नहीं तो क्या यह संभव नहीं ? मैं कहता हूँ संभव है और कहीं से भी, किसी भी परिस्थिति में संभव है। किसी भूल और भटकाव की सजा काट रहे कैदियों के लिए भी संभव है। मैंने कहीं पढ़ा है कि बुराई के दस मुख होते हैं – क्रोध, मान, माया, लोभ, कलह, प्रतिकार, हठ, वासना, क्रूरता और अहंकार जबकि व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के दस हाथ हैं – क्षमा, अहिंसा, सरलता, सत्य, संयम, तप, त्याग, निरलोभता, ब्रह्मचर्य और परोपकार। आवश्यकता है इसे आमत्सात करने की।

**आवश्यकता है आत्मसात करने की**

बिहार में सम्पूर्ण शराब बंदी लागू है। स्वाभाविक है कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके कारण बिहार के जेलों पर इसका दबाब बढ़ा है। जो सरकार के लिए नुकसान का सौदा है। पहले शराब बिक्री का राजस्व की क्षति तो दूसरी ओर उस विवाद में कैदी के रूप में जेल आ रहे कैदियों पर सरकार द्वारा उसके रख रखाव का खर्च का भार। आखिर यह भार सरकार किसके लिए उठा रही है ? निश्चित रूप के एक सभ्य समाज के लिए। क्या उस कोशिश में समाज की भागीदारी अपेक्षित नहीं है ? है, इसका प्रमाण भी है। बिहार के लोगों ने मानव श्रृंखला बना कर पूरे विश्व को अपने समथर्न का संदेश दिया है। ठान लेने पर भला कौन सा संकल्प पूरा नहीं हो सकता है ? हमें सिर्फ सच्चे संकल्प के साथ सक्रियता को बढ़ाने होंगे।

बिहार कई महापुरुषों की जन्म और कर्मस्थली रही है। बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, महात्मा गांधी से लेकर राजेंद्र प्रसाद और जय प्रकाश तक अनेक नाम है। जरूरत है, इन महापुरुषों से प्रेरणा लेने की।

कहने के लिए बहुत बातें हैं, फिलहाल 'परिवर्तन' की प्रारंभिक श्रृंखला में आप सभी से योगदान की आशा करता हूँ। लाभ उठायें और जनमानस तक उसका लाभ पहुँचायें।

सुझाव और शिकायत का सादर स्वागत है।

आपका

मिथिलेश मिश्र

# सम्पादकीय.....

वीरचन्द्र प्रसाद सिंह
(बी.सी.पी. सिंह)

बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर (वैशाली) माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के संकल्पनाओं का प्रतिफल है।

मैं सौभाग्यशाली हूँ कि संस्थान के प्रथम निदेशक के रूप में मेरी सेवा संपुष्ट की गई। इस नाते संस्थान के उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करना एवं उसके सफल संचालन करना मेरी प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार में आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन मुख्य घटक हैं :– अन्वेषण, न्याय–निर्णय एवं सुधार। न्याय–निर्णय संबंधी प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरान्त दोषसिद्ध अपराधी को सुधारात्मक संस्थान में भेज दिया जाता है। वर्त्तमान में दण्डशास्त्र आधारित कारावास की सजा की अवधारणा बदल चुकी है। कारावास का उद्देश्य सम्प्रति दण्डात्मक के स्थान पर सुधारात्मक हो गया है। सुधारात्मक उद्देश्य के अन्तर्गत बंदियों के लिए दोष निवृत्ति, पुनर्वसन एवं सामाजिक पुनर्गठन जैसे कार्य शामिल हैं।

**सुधारात्मक प्रणाली के इन उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कारा–प्रशासन से जुड़े पदाधिकारियों/कर्मियों को मानक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है, जिसमें शारीरिक व शस्त्र संचालन प्रशिक्षण के साथ–साथ प्रासंगिक विषय वस्तुओं के गुण स्तरीय अध्यापन का भी समावेश हो।**

सुधारात्मक प्रणाली के इन उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कारा–प्रशासन से जुड़े पदाधिकारियों/कर्मियों को मानक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है, जिसमें शारीरिक व शस्त्र संचालन प्रशिक्षण के साथ–साथ प्रासंगिक विषय वस्तुओं के गुण स्तरीय अध्यापन का भी समावेश हो। प्रशिक्षण की महत्ता के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा राज्य के कारा एवं सुधार सेवाएँ से जुड़े पदाधिकारियों व कर्मियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण दिए जाने हेतु हाजीपुर जेल परिसर में बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान (BICA) की स्थापना की गयी है। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा बीका भवन का निर्माण किया गया है। यह भवन कुल 10.13 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित है, जिसका कुल लागत 43.5 करोड़ रुपया है।

इस संस्थान का समारोहपूर्ण उद्घाटन दिनांक 15 नवम्बर 2017 को श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के कर–कमलों द्वारा किया गया।

**कारावास का उद्देश्य सम्प्रति दण्डात्मक के स्थान पर सुधारात्मक हो गया है।**

वीरचन्द्र प्रसाद सिंह
(बी.सी.पी. सिंह)

# सतर्क रहने की आवश्कता है : अशोक कुमार चौधरी

07 अप्रैल 2018 को बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर में प्रथम प्रशिक्षण सत्र का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्त्ता श्री अशोक कुमार चौधरी, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष, उच्च स्तरीय समिति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार थे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव, गृह विभाग एवं श्री आनन्द किशोर, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार उपस्थित थे।

श्री चौधरी ने अपने उद्घाटन भाषण में प्रशिक्षण के महत्व एवं सेवा के दौरान बरते जाने योग्य अपेक्षित सावधानियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होनें कहा कि हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस अवसर पर श्री आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार ने प्रशिक्षण के साथ तकनीक को जोड़ने, साथ ही राज्य के जेलों में चल रहे अच्छे कार्यक्रमों को प्रशिक्षण मॉड्यूल में शामिल करने पर बल दिया। श्री आनन्द किशोर, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ द्वारा इस प्रशिक्षण संस्थान की अवधारना तथा इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

प्रशिक्षण के पहले सत्र में सहायक काराधीक्षकों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। प्रशिक्षण की अवधि आठ महीने की है। इसमें अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र, मनोविज्ञान, मानवाधिकार, संविधान एवं अन्य प्रशासनिक विषयों का समावेश किया गया है। इसके अतिरिक्त शारीरिक प्रशिक्षण तथा शस्त्र संचालन प्रशिक्षण भी संचालित होंगे।

कार्यक्रम में कारा उप महानिरीक्षक, सहायक कारा महानिरीक्षक, उप सचिव–सह–विशेष कार्य पदाधिकारी श्री खगेश चन्द्र झा, उप निदेशक (BICA) श्री अरूण पासवान आदि उपस्थित रहे।

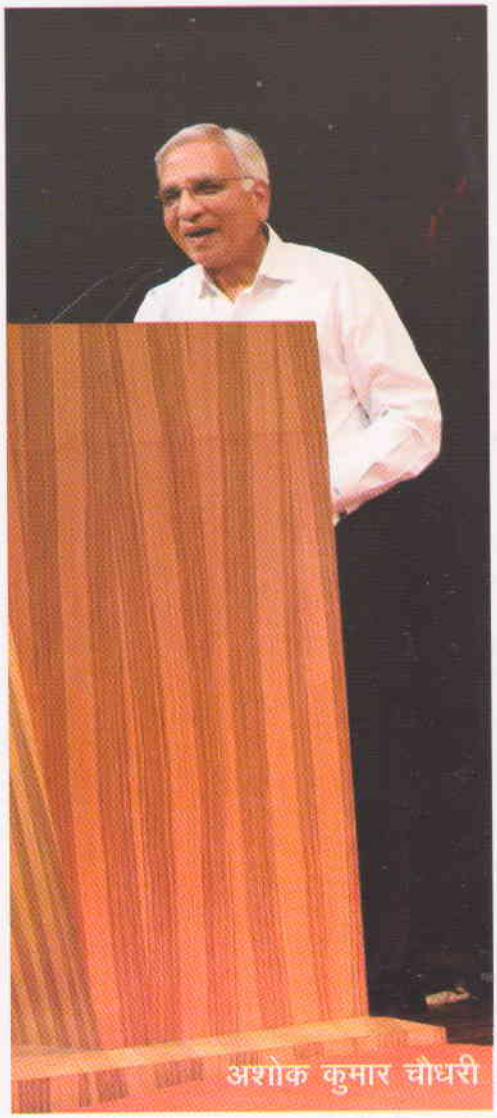
अशोक कुमार चौधरी

धन्यवाद ज्ञापन BICA के निदेशक श्री बी.सी.पी. सिंह ने किया तथा मंच संचालन बिपार्ड के संपादक श्री संतोष कुमार झा ने किया।

प्रशिक्षण के पहले सत्र में सहायक काराधीक्षकों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया प्रशिक्षण की अवधि आठ महीने की है इसमें अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र, मनोविज्ञान, मानवाधिकार, संविधान एवं अन्य प्रशासनिक विषयों का समावेश किया गया है इसके अतिरिक्त शारीरिक प्रशिक्षण तथा शस्त्र संचालन प्रशिक्षण भी संचालित होंगे।

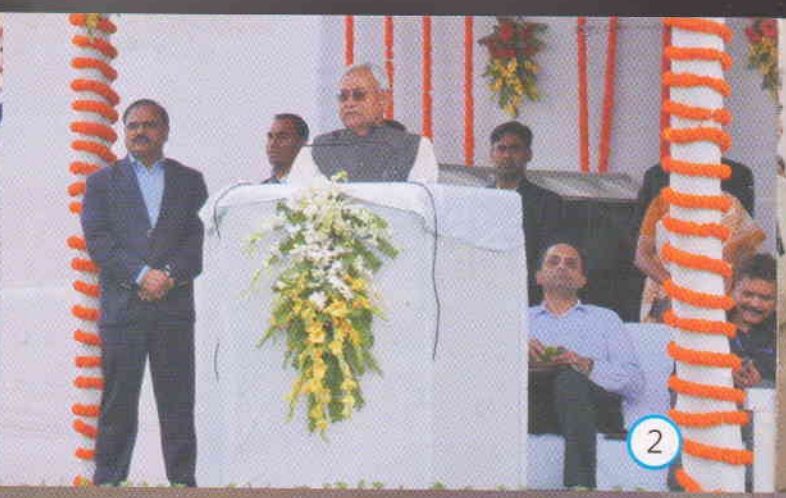

1. बीका परिसर में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार वृक्षारोपण करते
2. बीका भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए माननीय मु
3. ई–लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हुए न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अ
4. मंडल कारा, हाजीपुर के महिला वार्ड में पेंटिंग के साथ महिला बंदि
5. मंडल कारा, हाजीपुर में सजावार कैदी संगोष्ठि करते हुए।
6. बीका भवन परिसर में सांस्कृतिक संस्थान 'सिनेयात्रा' द्वारा बनाई गई
7. मंडल कारा, हाजीपुर में बंदियों द्वारा लहठी निर्माण करते हुए महिला
8. स्वतंत्रता दिवस, 2018 के अवसर पर बीका के निदेशक श्री बी. सी.
9. प्रशिक्षु सहायक कारा अधिक्षकों के साथ बीका के निदेशक श्री बी. सी.
10. प्रशिक्षु सहायक कारा अधिक्षकों एवं सहायक अभियोजन पदाधिकारियों
    गृह विभाग के प्रधान सचिव श्री आमिर सुबहानी, महानिरीक्षक (कारा)

3

4

6

7

7A

रोपण करते हुए।
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार।
अ नुल्लाह।
हिला बंदियों के बच्चे अक्षर ज्ञान लेते हुए।
।
बनाई गई कलाकृतियाँ।
हुए महिला बंदी एवं उनके बिक्रय केन्द्र।
श्री बी. सी. पी. सिंह द्वारा झंडोत्तोलन।
श्री बी. सी. पी. सिंह एवं अन्य।
दाधिकारियों के साथ न्यायमूर्त्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह,
क्षक (कारा) श्री मिथिलेश मिश्र, निदेशक श्री बी. सी. पी. सिंह एवं अन्य।

7B

9

10

# मानवाधिकार के संरक्षण में कारा चिकित्सकों की अहम भूमिका :

## न्यायामूर्ति मन्धाता सिंह

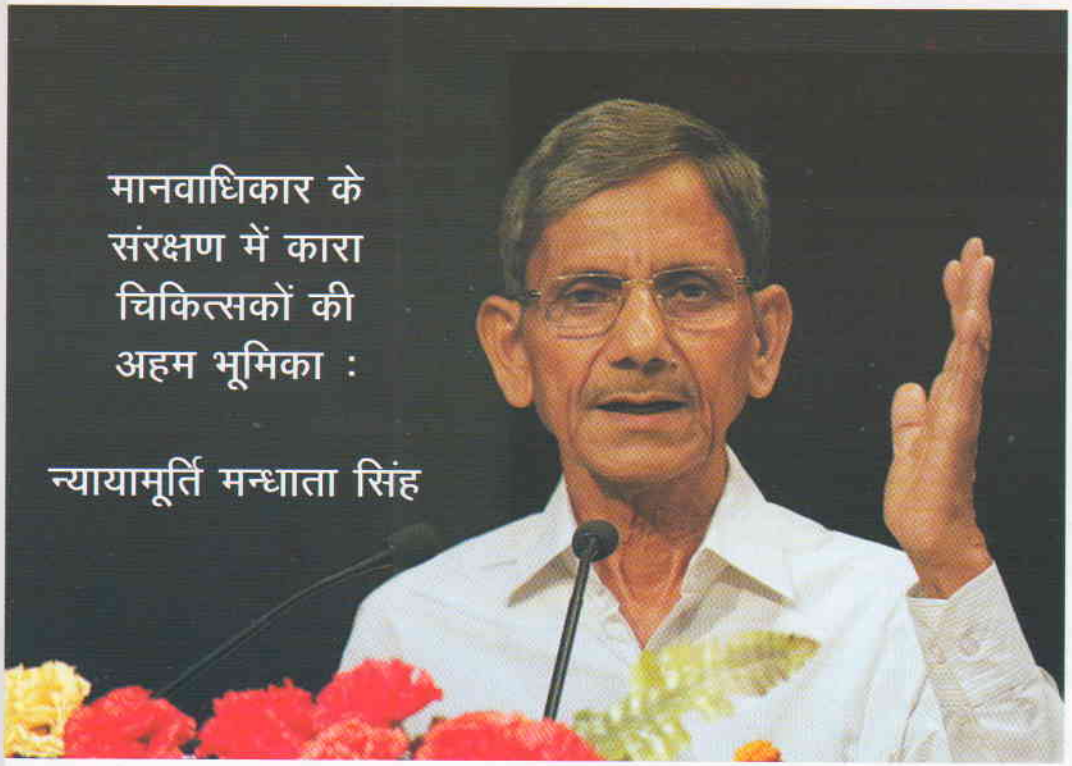

बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर में कारा चिकित्सकों का दो दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया जो गत 06 एवं 07 जून 2018 के अपराह्न 06.00 बजे तक चला।

उक्त सेमिनार की अध्यक्षता श्री आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव, गृह विभाग, ने किया। सेमिनार के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति, श्री मन्धाता सिंह, अध्यक्ष, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग सह कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि श्री मिथिलेश मिश्र, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार थे।

उद्घाटन सत्र में श्री बी0 सी0 पी0 सिंह, निदेशक, बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर ने कार्यशाला में उपस्थित सभी अतिविशिष्ट अतिथिगण तथा सेमिनार में उपस्थित सभी कारा चिकित्सकों का स्वागत करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री मन्धाता सिंह, अध्यक्ष, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, श्री आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव, गृह विभाग तथा श्री मिथिलेश मिश्र, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ के प्रति आभार व्यक्त किया कि अतिव्यस्तता के बावजूद भी उपरोक्त महानुभावों द्वारा इस कार्यशाला हेतु समय दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि माननीय न्यायमूर्ति द्वारा पटना उच्च न्यायालय में न्यायधीश के रूप में कार्य करते हुए काराधीन बंदियों को त्वरित गति से न्याय प्रदान करते हुए जमानत के बिन्दु पर अधिकतम मामलों में सुनवाई की जो माननीय न्यायालय में एक इतिहास है। माननीय न्यायमूर्ति प्रारंभ से ही मानवाधिकार के एक सजग प्रहरी रहें हैं।

श्री मिथिलेश मिश्र, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, ने इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि तथा प्रधान सचिव, गृह का स्वागत करते हुए इस कार्यशाला की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि चिकित्सक पृथ्वी पर भगवान के दूसरे रूप होते हैं। श्री मिश्र ने इस बात पर जोर दिया गया कि इस तरह की कार्यशाला नियमित रूप से किया जाना चाहिए।

उद्घाटन भाषण में प्रधान सचिव, गृह ने माननीय न्यायमूर्ति का अभिवादन एवं स्वागत करते हुए इस कार्यशाला की महत्ता पर जोर दिया। प्रधान सचिव, गृह ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि यह कार्यशाला कारा के डॉक्टरों को सम्मान, पहचान और स्वर हेतु आयोजित किया गया है। प्रधान सचिव ने कारा चिकित्सकों की समस्या पर जोर देते हुए उसमें सुधार की दिशा में आश्वासन दिया। उनके द्वारा बताया गया कि गृह (कारा) विभाग के अधीन चिकित्सकों के लिए कारा स्वास्थय निदेशालय का गठन किया गया है इस कार्य में वर्तमान निदेशक श्री परमेश्वर पाण्डेय की भूमिका सराहनीय है। साथ ही प्रधान सचिव ने

> माननीय न्यायमूर्ति मन्धाता सिंह द्वारा पटना उच्च न्यायालय में न्यायधीश के रूप में कार्य करते हुए काराधीन बंदियों को त्वरित गति से न्याय प्रदान करते हुए जमानत के बिन्दु पर अधिकतम मामलों में सुनवाई की जो माननीय न्यायालय में एक इतिहास है।

कारा महानिरीक्षक को जेलों में पदस्थापित चिकित्सकों को सुरक्षा एवं सुविधा मुहैया कराने हेतु तथा जेल स्थित अस्पतालों की स्थिति सुधारने के लिए पायलट योजना तैयार करने का भी निदेश दिया। प्रधान सचिव गृह ने इस कार्यशाला के आयोजन हेतु श्री मिथिलेश मिश्र तथा श्री बी0 सी0 पी0 सिंह की सराहनीय भूमिका का उल्लेख किया।

सेमिनार के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री मन्धाता सिंह, अध्यक्ष, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, इस Workshop के Keynote Address में मानवाधिकार की उत्पत्ति तथा मानवाधिकार के संरक्षण में कारा चिकित्सकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। कारा चिकित्सकों को अपनी भूमिका बिना दबाब तथा पूरी तत्परता से किये जाने पर बल दिया। मुख्य अतिथि ने सरकारी सेवाओं द्वारा मानवाधिकार के संरक्षण हेतु विशेष प्रयास पर बल दिया। उनके द्वारा इस बात पर भी विशेष बल दिया गया कि चिकित्सक इलाज को पहली प्राथमिकता दें।

इस कार्यशाला का मंच संचालन श्री संदीप कुमार, अधीक्षक, मंडल कारा, गोपालगंज ने किया। इस कार्यशाला में श्री राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव, गृह (कारा) विभाग, श्री नीरज कुमार झा, उप महानिरीक्षक, श्री राजीव कुमार झा, सहायक महानिरीक्षक, डॉ0 पी0 पाण्डेय, निदेशक, श्री प्रशांत कुमार सिन्हा, कारा स्वास्थय सेवाएँ, श्री अरूण पासवान, उप निदेशक, बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर, श्री लालबाबु सिंह, उपाधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर, श्री रवि कान्त देव, सत्र समन्वयक, बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर तथा सुश्री शिखा शर्मा, विधि संकाय बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर उपस्थित थे।

> **'मुख्य अतिथि ने सरकारी सेवाओं द्वारा मानवाधिकार के संरक्षण हेतु विशेष प्रयास पर बल दिया उनके द्वारा इस बात पर भी विशेष बल दिया गया कि चिकित्सक इलाज को पहली प्राथमिकता दें।'**

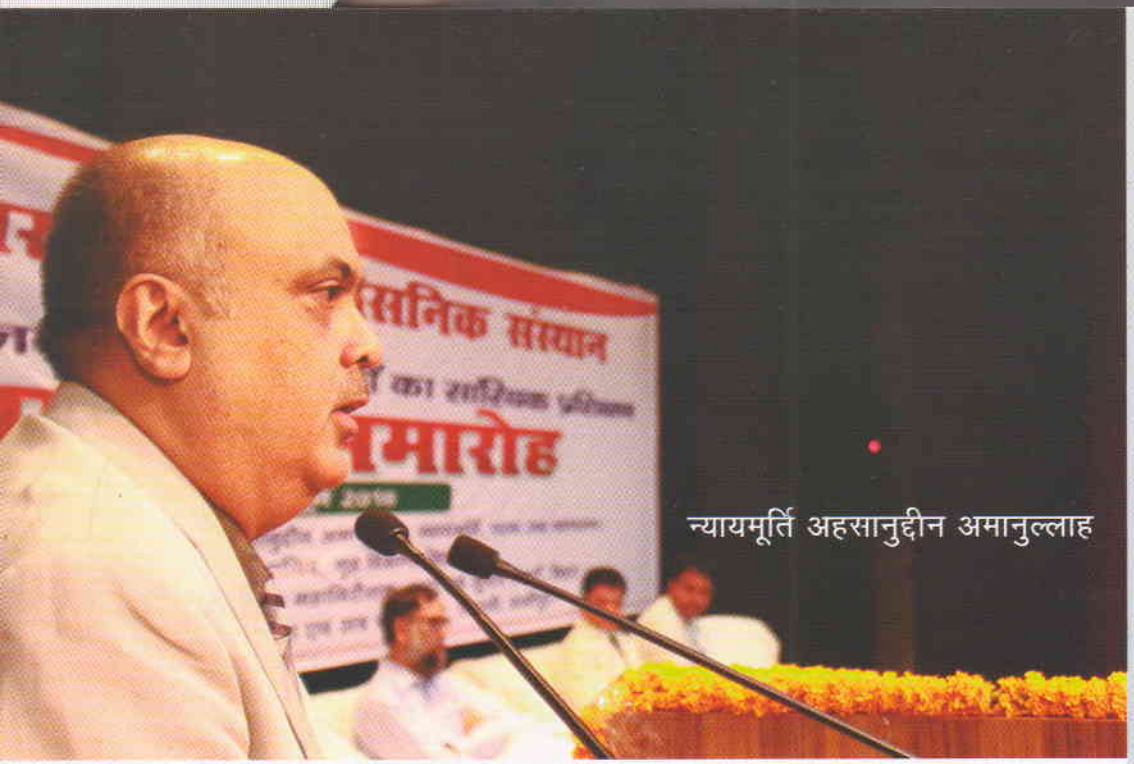


## अभियोजन पदाधिकारियों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है: न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह

विगत 23 जून 2018 को बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर में प्रशिक्षु सहायक अभियोजन पदाधिकारियों का सांस्थिक प्रशिक्षण का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। उक्त समारोह में मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति, श्री अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, पटना उच्च न्यायालय, पटना, श्री आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हाजीपुर तथा श्री मिथिलेश मिश्र, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, उपस्थित थे।

उद्घाटन सत्र में श्री मिथिलेश मिश्र, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ ने स्वागत भाषण में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि सहायक अभियोजन पदाधिकारी के सांस्थिक प्रशिक्षण की महत्ता पर जोर दिया। उन्होने सहायक अभियोजन पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि न्यायिक कार्य को गति प्रदान करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस भूमिका का निर्वहन करने में सभी प्रशिक्षुओं को अनुशासित जीवन जीना चाहिए।

प्रधान सचिव, गृह ने माननीय न्यायमूर्ति श्री अहसानुद्दीन अमानुल्लाह न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, पटना, का सहायक अभियोजन पदाधिकारियों के सांस्थिक प्रशिक्षण में आने पर

“प्रधान सचिव, गृह ने माननीय न्यायमूर्ति श्री अहसानुद्दीन अमानुल्लाह न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, पटना, का सहायक अभियोजन पदाधिकारियों के सांस्थिक प्रशिक्षण में आने पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति का अभिवादन व स्वागत किया।”

उनकी गरिमामयी उपस्थिति का अभिवादन व स्वागत किया। उन्होनें यह भी कहा कि अभियोजन पदाधिकारियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसे ईमानदारी से निभाने की आवश्यकता है। आशा है आप ऐसा कर पायेगें। प्रधान सचिव गृह ने अपने भाषण में कहा कि प्रशिक्षुओं को जीवन में अनुशासन अपनाने को प्रेरित किया साथ में यह भी कहा कि प्रशिक्षुओं को विधि व्यवसाय से संबंधित व्यवहारिक पहलुओं को जाने ताकि न्यायालय में कार्य करने के समय कोई कठिनाई न आए इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम Extra Curriculum Activities को जारी रखा जाय।

उद्घाटन भाषण में माननीय न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, पटना, ने अपने संबोधन में कहा कि अनुशासन जीवन में अनिवार्य है जिसके बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ज्ञान व्यक्ति को अंधेरे से उजाले की ओर आगे ले जाती है। यदि व्यक्ति में सीखने की इच्छा समाप्त हो जाय तो उस व्यक्ति का अंत संभव है। सहायक अभियोजन पदाधिकारियों का विधि व्यवसाय न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों कार्यों का निर्वहन करता है। अतः उनको अपने अधिकारों तथा दायित्वों के प्रति जागरूक होना चाहिए। प्रशिक्षुओं को धर्म तथा जाति से ऊपर उठकर न्यायिक कार्य में गति प्रदान करना चाहिए। देशभक्ति कर्त्तव्य व चरित्र से दिखाई जाय। हम सबका धर्म भारत है तथा हित राष्ट्र हित है। इसलिए संबिधान ही हमारी गीता, कुरान, गुरूग्रंथ और बाईबिल है। श्री बी0सी0पी0 सिंह, निदेशक, बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर ने सभी मुख्य अतिथि गणों का धन्यवाद ज्ञापन किया।

इस समारोह का मंच संचालन श्री संतोष कुमार झा द्वारा किया गया। इस समारोह में श्री अरूण पासवान, उप निदेशक, बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर, श्री लालबाबु सिंह, उपाधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर, श्री रवि कान्त देव, सत्र सम्नवयक, बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर तथा सुश्री शिखा शर्मा, विधि संकाय बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर उपस्थित थे। इस समारोह के सांस्थिक प्रशिक्षण हेतु अतिथि संसाधन व्यक्तियों श्री शांति कुमार मिश्रा, श्री धर्मेश कुमार, श्री रामचन्द्र ठाकुर, श्री नरेन्द्र कुमार राय एवं अभियोजन निदेशालय के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

**माननीय न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, पटना, ने अपने संबोधन में कहा कि अनुशासन जीवन में अनिवार्य है जिसके बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है**

# कारा में सुधारात्मक सेवाओं का प्रतिनिधि है प्रोबेशन सेवा

## – महानिरीक्षक

गत 04 जूलाई 2018 को गृह (कारा एवं सुधार सेवाएँ) विभाग की ओर से बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर के सभागार में बिहार प्रोबेशन सेवा संवर्ग का एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर श्री मिथिलेश मिश्र, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, श्री राजीव वर्मा, तत्कालिन अपर सचिव–सह–निदेशक प्रशासन, श्री बी.सी.पी.सिंह, निदेशक, बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर, श्री लियोनार्ड तिर्की, निदेशक, प्रोबेशन सेवाएँ, बिहार, श्री रवि कान्त देव, सहायक निदेशक, अभियोजन, सह–सत्र समन्वयक सहित प्रोबेशन सेवा के प्रमंडलीय उप निदेशक एवं सभी प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रोबेशन पदाधिकारियों ने भाग लिया।

उदघाट्न सत्र में श्री बी.सी.पी.सिंह, निदेशक, बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर ने कार्यशाला में उपस्थित सभी अतिविशिष्ट अतिथिगण तथा सेमिनार में उपस्थित सभी प्रोबेशन संवर्ग के पदाधिकारियों का स्वागत किया एवं इस विशेष कार्यशाला के आयोजन की अनुमति प्रदान करने हेतु महानिरीक्षक महोदय का आभार व्यक्त किया।

अपर सचिव सह निदेशक प्रशासन सह–वरीय प्रभार प्रोबेशन निदेशालय, बिहार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की उपयोगिता पर प्रकाश डाला एवं प्रोबेशन ऑफ अफेन्डर्स रूल्स के निर्वहन में प्रोबेशन संवर्ग के पदाधिकारियों के समक्ष आने वाली कठिनाईयों आदि के समाधान के संबंध में उच्च स्तर पर संसूचित करने का आश्वासन दिया।

महानिरीक्षक महोदय ने इस कार्यक्रम को एतिहासिक बताया। उन्होंने इस कार्यशाला को एक सुखद संयोग बताया कि इस कार्यशाला में अभियोजन प्रोबेशन एवं कारा सेवा के पदाधिकारी उपस्थित हैं जो अपराध न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने कहा कि राज्य का ध्येय है कि न्याय के साथ सामाजिक विकास हो। प्रोबेशन सेवा इस घ्येय वाक्य को पूर्ण करने की एक महत्वपूर्ण इकाई है। व्यक्ति पर समाज का अधिकार होता है, भटके हुए व्यक्ति का सामाजिक समायोजन करना ही प्रोबेशन सेवा का मूल उद्वेश्य है उन्होंने आगामी 15 जून को प्रत्येक वर्ष प्रोबेशन डे के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया।

**महानिरीक्षक महोदय ने इस कार्यक्रम को एतिहासिक बताया उन्होंने इस कार्यशाला को एक सुखद संयोग बताया कि इस कार्यशाला में अभियोजन प्रोबेशन एवं कारा सेवा के पदाधिकारी उपस्थित हैं जो अपराध न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है उन्होंने कहा कि राज्य का ध्येय है कि न्याय के साथ सामाजिक विकास हो प्रोबेशन सेवा इस घ्येय वाक्य को पूर्ण करने की एक महत्वपूर्ण इकाई है।**

इस कार्यशाला का मंच संचालन श्रीमती पूनम रानी, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली द्वारा किया गया। इस कार्यशाला के प्रथम सत्र में अभियोजन सेवा के प्रशिक्षु पदाधिकारी एवं श्री अरूण पासवान, उप निदेशक, बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर, श्री रमेश प्रसाद, अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर, श्री लालबाबु सिंह, उपाधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर, श्री रवि कान्त देव, सत्र समन्वयक, बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर तथा सुश्री शिखा शर्मा, विधि संकाय, बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर उपस्थित थे।

प्रशिक्षण कार्यशाला में विषयांकित विषय पर श्री अनिल कुमार सिन्हा, उप निदेशक (प्रोबेशन) सारण प्रमंडल, छपरा, श्री शिवनाथ प्रसाद, उप निदेशक (प्रोबेशन) मगध प्रमंडल गया एवं श्री जय प्रकाश दास, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, बक्सर ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

# कारा प्रोग्रामर का राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित

गत 28 जूलाई 2018 को गृह (कारा एवं सुधार सेवाएँ) विभाग की ओर से महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार पटना की अध्यक्षता में बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर के सभागार में बिहार काराओं में पदस्थापित प्रोग्रामर/सहायक प्रोग्रामर, डाटा–इन्ट्री ऑपरेटरों का एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें e-Prison से संबंधित कारा में प्रवेश, मुक्ति बंदियों की मृत्यु बीमारी का ईलाज, परिहार एवं न्यायालयों में बंदियों के उपस्थान को विस्तार से बताया गया।

उदघाट्न सत्र में श्री बी.सी.पी.सिंह, निदेशक, बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर ने कार्यशाला में उपस्थित सभी अतिविशिष्ट अतिथिगण तथा सेमिनार में उपस्थित सभी प्रोग्रामर/सहायक प्रोग्रामर, डाटा–इन्ट्री ऑपरेटरों का स्वागत किया एवं इस विशेष कार्यशाला के आयोजन की अनुमति प्रदान करने हेतु महानिरीक्षक श्री मिश्र का आभार व्यक्त किया।

महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना ने इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रोग्रामर/सहायक प्रोग्रामर, डाटा–इन्ट्री ऑपरेटरों को संबोधित करते हुए बताया की आज IT का युग है। इसका उपयोग कारा में भी बंदियों की सुविधा के साथ–साथ अन्य प्रशासनिक कार्यों की सफल संचालन हेतु किया जा रहा है जिसमें e-Prison, Prison ERP System आदि कार्यो के संचालन में आपकी महम्वपूर्ण भूमिका है।

इस अवसर पर श्री नीरज कुमार झा, उप महानिरीक्षक (प्रशासन), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना, श्री संजय कुमार चौधरी, सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना, श्री अरूण पासवान, उप निदेशक, बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर, श्री रमेश प्रसाद, अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर, श्री लालबाबु सिंह, उपाधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर, श्री राधेश्याम सुमन, अवकाश रक्षित पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना एवं श्री रवि कान्त देव, सत्र समन्वयक, बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर उपस्थित थे।

> बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर के सभागार में बिहार काराओं में पदस्थापित प्रोग्रामर / सहायक प्रोग्रामर, डाटा–इन्ट्री ऑपरेटरों का एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें e-Prison से संबंधित कारा में प्रवेश, मुक्ति बंदियों की मृत्यु बीमारी का ईलाज, परिहार एवं न्यायालयों में बंदियों के उपस्थान को विस्तार से बताया गया।

# बुलिया की दंश

बी. सी. पी. सिंह

बेचैनी ऐसी कि मैं उस रात सोया न था। हालाँकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह दिल और दिमाग उस रात बेचैन था, पहले कभी न हुआ था। जबसे ये सुना कि बुलिया 14 साल की आजीवन कारावास की सजा काट कर आयी और उसी रात दुनियाँ से सदा के लिए चल बसी। मानो वह धरती पर सिर्फ सजा काटने ही आयी थी।

कुछ लोगों की कितनी अजीब किस्मत होती है। बुलिया की तो कुछ ज्यादा ही अजीब थी। पहले तो भूमि विवाद में कुछ असामाजिक तत्वों और दबंगो के द्वारा पति की हत्या कर दी गई। ऊपर से बुलिया को धमकी कि अगर इस मामले को थाना–पुलिस या कोर्ट–कचहरी में ले गई तो अंजाम और बुरा होगा। भला बुलिया बेचारी अपने पति की मौत का दंश कैसे भूल सकती थी। उसने घर का माथा जो खोया था। वो पागल हो गई थी। सहारे के नाम पर सिर्फ 12 साल का एक नाबालिग बेटा था। उसकी भी सुरक्षा और शिक्षा खतरे के निशाने पर था। भागलपुर की अनपढ़ आदिवासी समुदाय की बुलिया कानूनी प्रक्रिया में जाना तो चाहती थी पर उसके लिए यह राह इतना आसान न था। बावजूद उसके हर डर से बेखौफ बुलिया अदालत तक पहुँचने की लगातार कोशिश कर रही थी। अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से वह कानून के सामने अपना पक्ष रखने को व्याकुल बुलिया रोज सत्तू की गठरी बाँध जिला मुख्यालय की दौर लगा रही थी। कई दिनों से घर के चूल्हे में आग न जली थी। मानो वह उसका संकल्प हो कि जब तक अपने पति के हत्यारे को सजा न दिला देती है, अपने चूल्हे में धुआँ न करेगी। उधर हत्यारा पक्ष बुलिया के गतिविधियों से परेशान हो रहा था। वह बार–बार जहाँ तहाँ रोक कर बुलिया को धमकाते पर हर अंजाम को चुनौती देती बुलिया बिल्कुल रूकना नहीं चाहती थी।

दबंगई की पराकाष्ठा ऐसी कि हत्यारा पक्ष उसके जज्बे को कुचलते हुए बेटे के सामने बलात्कार किया। इस शर्मनाक घटना को घटते देख दुनियाँ का कोई भी बेटा, भले वह कितना भी कमजोर और छोटा क्यों न हो, नहीं रोक सकता, वह भी नहीं रोक पाया। अपने सामने पड़े पत्थर को उठाया और बलात्कारी के सर पर जा पटक दिया। बलात्कारी घटना स्थल पर ही ढेर हो गया। इस

> कुछ लोगों की कितनी अजीब किस्मत होती है बुलिया की तो कुछ ज्यादा ही अजीब थी पहले तो भूमि विवाद में कुछ असामाजिक तत्वों और दबंगो के द्वारा पति की हत्या कर दी गई ऊपर से बुलिया को धमकी कि अगर इस मामले को थाना–पुलिस या कोर्ट–कचहरी में ले गई तो अंजाम और बुरा होगा।

श्री सिंह कारा सेवाओं में विशिष्ट योगदान के लिए भारत के तत्कालीन महामहीम राष्ट्रपति डॉ. प्रणव मुखर्जी से सम्मानित हैं।

घटना ने बुलिया पर हुए अत्याचार को ही पलट कर रख दिया। अब उस पर हुए हर अपराध उससे कोसों पीछे जा चुकी थी।

बहरहाल पुलिस आयी। घटना की जाँच और पूछताछ हुई हत्या की घटना स्पष्ट था। बेटे की जिंदगी बर्बाद न हो यह सोंच कर बुलिया ने उसकी हत्या का आरोप अपने सर ले ली और तत्काल जेल चली गई। क्योंकि बेटा नाबालिंग था, उसे जूबीनाइल कोर्ट (तरुण बंदी न्यायालय) से राहत भी मिल गई, जो की मृतक का मूल हत्यारा था।

उधर बुलिया पर हत्या का केस चला। केस कई न्यायालयों से गुजरते हुए उच्चतम न्यायालय तक जा पहुँची। उच्चतम न्यायालय ने उसे फाँसी की सजा सुनाई। जेल मुख्यालय बिहार के पहल पर मामला भारत के महामहिम राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत हुआ। महामहिम राष्ट्रपति ने बुलिया को विधवा और महिला होने नाते फाँसी की सजा में राहत देते हुए आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। बुलिया सिद्ध घटना के आरोप में स्थाई रूप से 14 साल के लिए जेल चली गई।

बुलिया भले ही हत्या के आरोप में जेल की सजा काट रही थी, पर उसने जेल को अपने श्रमदान से सबका दिल जीत लिया था। जब कोई जेल निरीक्षक जेल के निरीक्षण पर जाते, बुलिया एक ही गुहार करती। मेरा बेटा मेरी राह जोह रहा होगा साहेब जल्दी से सजा पूरी हो जाय (मूल संवाद अंगिका में)।

एक बार फिर कहूँगा कि बुलिया सच में बहुत आभागिन थी। उस 14 साल में उसके परिवार या सगे संबंधियों ने कभी उसे नहीं खोजा न ही कभी मूलकती बन मिलने आया। यहाँ तक कि जिस बेटे को बचा कर बुलिया फाँसी तक जा पहुँची थी, वह भी नहीं।

बुलिया आशावदी और मजबूत महिला थी। वह मन ही मन ये सोंचती कि मेरा बेटा मुझसे न मिल कर अच्छा ही करता है। जेल में मुझसे मिलते देख लोगों के सामने उसकी छवि खराब होगी, लेकिन सपने रोज देखती थी। बुलिया 14 साल बाद भी सिर्फ इसलिए रिहा होना चाहती थी कि वह अपने बेटे की शादी कर सके। उपने आँगन में पोते पोतियों की किलकारी सुन सके। फिर से एक नई दुनियाँ को सजते देखने की तमन्ना थी उसकी आँखों में।

वह दिन आया जब उसके सजा के ठीक 14 साल पूरे हुए। वह बहुत उत्साहित थी। उसे यह उम्मीद था कि आज उसका बेटा जेल के बाहर उसे जरूर लेने आया होगा। उधर, वह जेल से बाहर की ओर जा रही थी। इधर, मंजर ऐसा मानो सैकड़ों बच्चों को छोड़ माँ सदा के लिए उस आँगन से विदा हो रही हो। महिला वार्ड, जिसमें बुलिया रहती थी, उस रात किसी कैदियों ने खाना नहीं खाया था। कैदियों के हर अपराध पर उसका स्नेह भारी था। जेल प्रशासन ने बुलिया से पूछा घर कैसे जाएँगे आप ? बुलिया ने कहा "हम्मर बेटबा बाहरो में होतई साहेब"। जेल अधिकारी ने कहा आपके कोई परिजन बाहर नहीं हैं। यह सुनते ही बुलिया की खुशी खामोशी में तब्दील हो गई। जेल अधिकारी ने पूछा घर का पता क्या है ? सर हिलाते हुए बुलिया इशारा से कहती "नैय इयाद छई साहेब"।

जेल प्रशासन ने बुलिया को एक स्थानीय स्वयंसेवी संस्थान के माध्यम से जेल से रिहा कर दिया। वह रास्ते भर मौन रही। बीच–बीच में अपने घर और बेटे के बारे में पूछती थी। जेल से मिले उसके घर का पता के माध्यम से स्वयंसेवियों ने बुलिया को उसके घर ले गया। घर बिल्कुल जीर्ण–शीर्ण हालत में था। वर्षों से कोई आया गया नहीं था। जंग लगे ताले लटके पड़े थे। चाभी भी नहीं थी। गाँव वालों से अपने बेटे के बारे में पूछती है "हम्मर बेटबा किन्नो गेलो छई"?गाँव वालों से मालूम चला बेटा आज से दस साल पहले शादी कर चुका है। अब ससुराल में रहता है। सालों से यहाँ नहीं आया है। स्वयंसेवियों के निगरानी में गाँव वालों ने घर का ताला तोड़ा ताकि बुलिया अपने घर को निहार सके। उस दिन कई पड़ोसी ने बुलिया को खाना खिलाने की कोशिश की। कृतज्ञता भाव से एक ही बात कहती–"राखी देहो– खे लेबे"। ऐसे जैसे वह किसी को नाराज नहीं करना चाहती हो। बुलिया वापस स्वयंसेवी संस्थान के आराम गृह में सोने चली गई। उस रात बिना खाए सो गई। इतनी गहरी निद्रा में सोयी कि अगली सुबह जगी ही नहीं। मानो यह कह कर चिर निद्रा में सो गई हो कि अब जगूँ भी तो किसके लिए ?

**बुलिया आशावदी और मजबूत महिला थी। वह मन ही मन ये सोचती कि मेरा बेटा मुझसे न मिल कर अच्छा ही करता है। जेल में मुझसे मिलते देख लोगों के सामने उसकी छवि खराब होगी।**

कारावासियों की कलम से.....

## पहचान

गाँधी के चरखे ने दे दी है दस्तक
जिसके आगे है पूरी दुनिया नतमस्तक
भरते यहाँ पर परिन्दे उड़ान
आजाद भारत को मिलती पहचान

क्यों मतभेद रखते हैं आपस में
छोड़ देना है एक दिन सबको जहान
खुशियाँ बाँटों और खुश रहो
यही है सच्ची मानवता की पहचान।

जय हे भारत भूमि महान
शत्-शत् है आपको प्रणाम।

– मोहम्मद अल्लाउद्दीन
सजावार बंदी, मंडल कारा, हाजीपुर

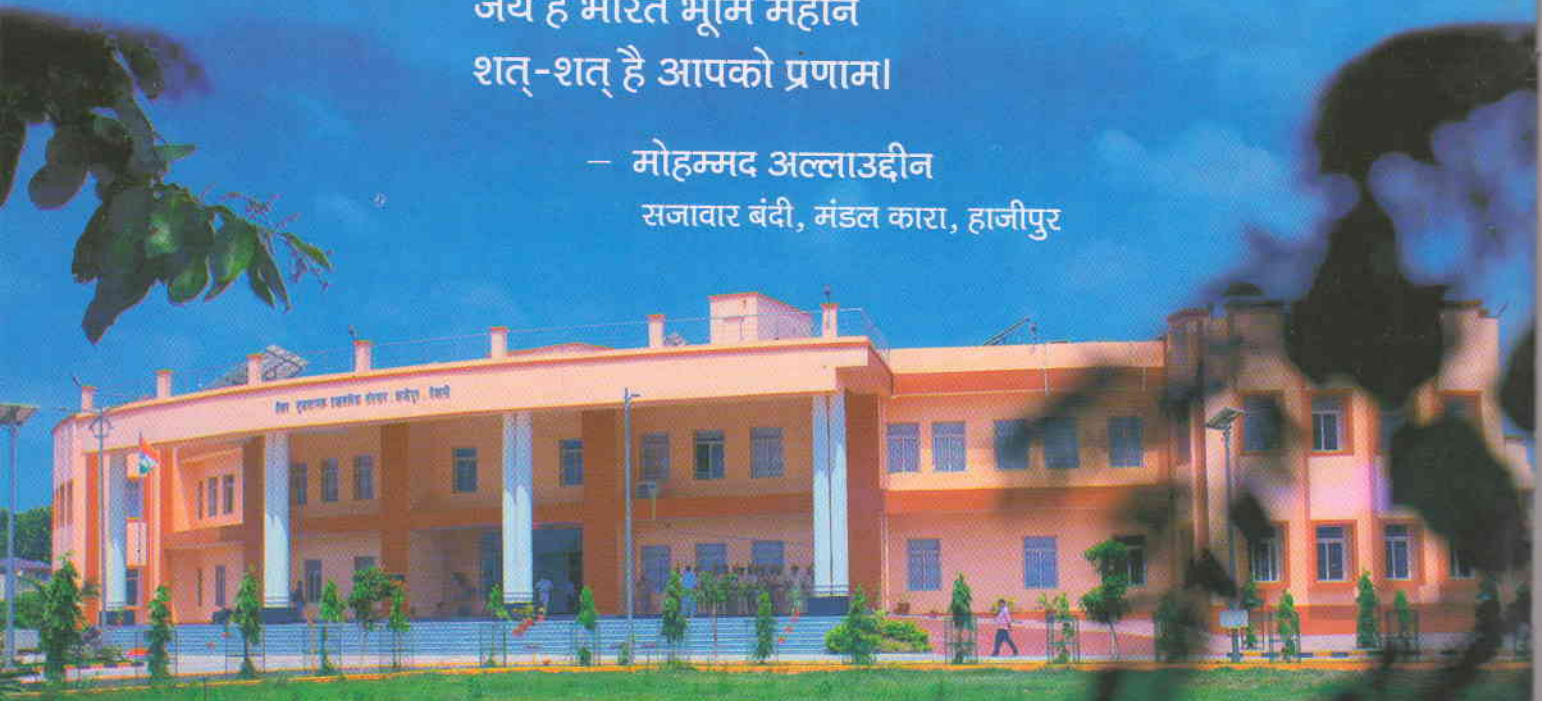

बहवो दुष्ट तारकं बहवोऽसुर हंतारम्।
पापात्मानो द्वारकं कारागारे जातकं नमः।।

प्रकाशक :
बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान
दिग्घी कला, समीप मंडल कारा, हाजीपुर, वैशाली 844101 ( बिहार )
दूरभाष नं० : 0622-4272117
ई-मेल - hajipurbica@gmail.com